बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन

बि० रा० मि० वि० भवन फार० जि०–अर० बिहार।

विज्ञापन सं०–12/2026

ग्राम पंचायत सहायक कार्यपालक के पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन ।

1. बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अन्तर्गत बिहार राज्य के सभी ग्राम पंचायत अधीनस्थ कार्य सहयोग व पंचायत में समाजिक जागरूकता व विकास कार्य हेतु। ग्राम पंचायत सहायक कार्यपालक के पद पर **8192** पद के लिए नियोजन हेतु । बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त अधियाचना के आलोक मे सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइड:– www.bsmdo.in पर **दिनांक–19.06.2026 से 04.08.2026** तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

अधियाची बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रोस्टर के अनुसार उपलब्ध कराये गये पदों की विवरणी निम्नलिखित रूप से है :–

पदनाम	नियत वेतन	योग्यता
ग्राम पंचायत सहायक कार्यपालक	नियत वेतन 24600/–	(i) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :– किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इन्टरमीडिएट/किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इन्टरमीडिएट (+2)समकक्ष डिग्री प्राप्त हो।

पदों की कोटिवार विवरणी :–

अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गो की महिला	कुल	दिव्यांग (बिहार राज्य के मूलवासी हेतु)	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए (बिहार राज्य के मूलवासी हेतु)
बिहार राज्य के मूलवासी महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज अरक्षण सहित								VH-04 HH-02 OH-02 MH-01	12
1085	956	671	668	665	430	849	5324		
541	402	388	369	295	412	461	2868		

नोट :– (i) दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है :– VH/VI- अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता HH- बधिर और श्रवण शक्ति ह्रास दिव्यांगता, OH-चलन दिव्यांगता (प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दृष्योषण) MH-स्वपरायणता, बौध्दिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता दिव्यांगता/बहुदिव्यांगता।

नोट–(ii) आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि तक अधियाची बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

2. आयु सीमा :–

(i) 25.06.2026 को न्यूनतम आयु :– 18 वर्ष ।

अधिकतम उम्र सीमा :–

(a) अनारक्षित :– 37 वर्ष

(b) अनारक्षित महिला :– 40 वर्ष

(c) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला) :– 40 वर्ष

(D) अनु० जाति /अनु० जनजाति (पुरूष/महिला) :– 42 वर्ष

बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण–पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक मे दिव्यांगो को अधिकतम उम्र सीमा मे 10 वर्षो की छुट अनुमान्य है।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–2374 दिनांक–16.07.2007 एवं पत्रांक –13107 दिनांक– 20.09.2019 के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक) जो तीन वर्षो की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हो को उच्चतर नियत वेतन की सेवा मे जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा मे 5 (पॉच) वर्षो की छूट अनुमानय है।

(iv) बिहार सरकार के किसी भी विभाग के अधीन समान पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत रहे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा मे उनके द्वारा संविदा पर किये गये सेवा अवधि के समतुल्य अवधि की छुट दी जायेगी । उक्त अधिकतम छुट की गणना Cut-off date दिनांक–25.06.2026 तक की जाएगी।

(v) संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को कार्यानुभव एवं संविदा अवधि के समतुल्य अधिकतम उम्र सीमा मे छूट का लाभ पद पर नियोजित मे देय होगा।

(vi) किसी अभ्यर्थी को कंडिका –2 (ii), (iii), (iv) एवं 2 (v) मे से कोई एक ही छूट अधिकतम आयु सीमा मे देय होगा।

3. **आरक्षण** :–

(i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नही करने पर आरक्षण का लाभ नही मिलेगा।

(ii) आरक्षण का लाभ उन्ही उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य मे है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नही होगा। ऑनलाईन आवेदन मे भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमानय होगा।

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र

(C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।

नोट–(i) केवल जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय होगा। पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्यों जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–673, दिनांक–08.03.2011 के आलोक मे महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु) एवं जाति प्रमाण–पत्र (पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु) पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक –15760 दिनांक–02.09.2022 के आलोक मे भी कार्रवाई की जायेगी।

(iii) आय एवं परिसम्पति संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

आरक्षित कोटि

क्रम सं0	आरक्षित कोटि
1	अनुसूचित जाति (SC)
2	अनुसूचित जनजाति (ST)
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
4	पिछड़ा वर्ग (BC)
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
6	पिछड़े वर्गो की महिला (WBC)

(iV) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध मे पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम मे करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। आरक्षण कोटि मे सुधार/बदलाव पंजीकरण के उपरांत नही किया जा सकेगा। दावा किये गये कोटि से इतर कोटि का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य प्रस्तुत करने अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नही होगा।

(V) (क) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक–2342 दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति मे नियमानुसार 35% क्षैतिज देय होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र सं0–12575, दिनांक–09.07.2025 के आलोक में महिलाओं के लिए अनुमान्य कोटिवार 35% क्षैतिज **आरक्षण मात्र बिहार के स्थाई निवासी** को ही अनुमान्य होगा।

(Vi) (क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त संकल्प के Appendix-1 मे संलग्न विहित प्रपत्र मे निर्गत दिव्यांगता प्रमाण –पत्र मान्य किया जायेगा। जिसे Upload किया जाना एवं Online आवेदन के विहित कॉलम मे दिव्यांगता का दावा करना आवश्यक होगा। अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नही होगा।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र मे निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नही होने की स्थिति मे प्रमाण–पत्र मान्य नही होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली 2017 (The Rights of persons with Disabilitiess Rules 2017) मे वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण पर आरक्षण का लाभ देय नही होगा।

दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के दिव्यांगता का जॉच बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर भी मेडिकल बोर्ड गठित कर पुनः किया जायेगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–8962 दिनांक–21.05.2025 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं की नियोजन मे **बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य** कराया जायेगा।

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या–10668 दिनांक–29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा–2 (r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेचमार्क दिव्यांगता (40 या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक की सुविधा अनुमान्य करायी जा सकेगी । जिस अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी उन्हे ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम मे श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम मे Yes करना अनिवार्य होगा।

(Vii) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक –13185 दिनांक–03.09.2015 के आलोक मे बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हे केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय **अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी** के हस्ताक्षर से निर्गत समान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 11687 दिनांक–30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र मे भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी/होने का प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। **(स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नही है)**

(Viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–16144, दिनांक–28.11.2012 के आलोक मे नियोजन प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नही किया जा सकता है।

(iX) ऑनलाईन आवेदन मे आरक्षण के इंगित कॉलम में आरक्षित कोटि/निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी के पोता–पोती, नाती–नतिनी/कार्यानुभव का दावा नही करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नही होगे।

(X) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–12722 दिनांक–12.09.2014 के आलोक मे किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर (थर्डजेंडर) को पिछड़े वर्गो को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

4. आवेदन शुल्कः—

(i) अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाईन माध्यम से ही करेंगें। ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन शुल्क का भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / Unified Payment Interface (UPI)के माध्यम से किया जा सकता है । भुगतान में अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों / Payment Gateway द्वारा निर्धारित शुल्क भी देय होगा, जो ऑनलाईन भुगतान के क्रम में स्वतः भुगतेय होगा।

अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित भुगतान रसीद का प्रिन्ट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगें।

आवेदन शुल्क कोटिवार प्रत्येक पद हेतु निम्नवत निर्धारित है:—

क्र0 सं0	उम्मीदवार की कोटि	निर्धारित आवेदन शुल्क
1.	सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू 500 /—
2.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रू 415 /—
3.	आरक्षित / अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रू 415 /—
4.	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हो।	रू 500 /—
5.	दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% अथवा उससे अधिक) के लिए	रू 350 /—

(ii) वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते है और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण –पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता हैं। या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क(Concessional applicant fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है । दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

नोटः— आवेदन शुल्क (Application fees) किसी भी परिस्थिति में अप्रतिदेय(Non -Refundable) है एक बार भुगतान करने के बाद आवेदन रद्द होने, फार्म में गलती होने या अन्य किसी कारण से भी यह राशि अभ्यर्थी को वापस नहीं कि जाएगी।

5- **फोटो पहचान पत्र (Photo ID)** :—
उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन भरते समय अपने फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड संख्या (Aadhar No) अंकित करना आवश्यक है। आधार कार्ड उपलब्ध नही होने की स्थिति मे अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा पैन कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि की संख्या अंकित कर सकते है । उम्मीदवार द्वारा ऑनलाईन आवेदन मे प्रविष्ट किये गये फोटो पहचान पत्र को परीक्षा / काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगे।

6- **चयन की प्रक्रिया** :— बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा।
(i) साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधासूची निम्न प्रकार तैयार की जायेगी।

(a)	साक्षात्कार प्रतियोगिता के लिए पूर्णांक	75 अंक
(b)	बिहार सरकार का किसी भी विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर पूर्व में नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा पद पर प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 05 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंको की अधिमानता दी जायेगी । 06 माह से ज्यादा एवं 01 वर्ष से कम की अवधि को 01 पूर्ण माना जायेगा।	25 अंक
	कुल :—	100 अंक

नोट :— (I) अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा मे प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा मे प्राप्त कुल अंको का प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जायेगा। यथा यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 60 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ हो तो उसे 60X0.75=45 अंक दिये जायेगे।

(II) साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा मे न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त अभ्यर्थी को ही बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेन्ट ऑर्गेनाइजेशन मे कार्यरत संविदा अवधि की अधिमानता (**Weightage**) दी जायेगी।

(ii) **साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा** – बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सभी अभ्यर्थियों के लिए **साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा** आयोजित करेगा।

साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यकम :–

(a) साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा मे होंगे।

(b) साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा क्रमांक रोल नं0 के अनुसार होंगे।

(c) अधियाची बिहार राज्य मिशन डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित पाठयक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेगे। उक्त पाठ्यक्रम बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन के Website पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा।

(d) उक्त साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा एक दिन से अत्याधिक दिनो मे आयोजित किया जाएगा एवं एक दिन से अत्याधिक दिनो मे साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम समानीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा।

(e) साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा मे गलत उत्तर के लिए **नकारात्मक अंकन (Negative Markingg)** लागू किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु **05 अंक** देय होगा । एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु **(–2) अंक** काटा जाएगा।

(f) उक्त साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की **समानीकरण (Normalization)** की प्रकिया अपनाते हुए परीक्षा–फल घोषित किया जाएगा।

(g) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–2374 दिनांक–16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक –962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा मे सामान्य वर्ग के लिए 40% पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

नोट– साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा मे अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नही होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नही किया जायेगा।

(iii) कार्यानुभव का लाभ साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा मे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। कार्यानुभव के अंक की अधिमानता हेतु अभ्यर्थी द्वारा Online आवेदन के विहित कॉलम मे कार्यानुभव का दावा किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही अभ्यर्थी दिनांक–**04.08.2026** तक संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का **कार्यरत विभाग के अन्तर्गत संथानों के प्रभारी /कार्यालय अधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भूगतान प्रमाण पत्र** (संलग्न परिशिष्ट–1 में) का साक्ष्य ऑनलाइन आवेदन के विहित कॉलम मे अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र मे वर्णित कार्यावधि के आधार पर ही संबंधित अभ्यर्थी को कार्यानुभव का अंक देय होगा।

(iV) वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र हेतु परिशिष्ट –1 मे प्रारूप (Format) संलग्न किया गया है। इस प्रारूप मे ही वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र दिये जाने पर कार्यानुभव के अंको एंव कार्यानुभव के आधार पर आयु सीमा मे छुट का लाभ दिया जायेगा। **इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप मे वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र दिये जाने पर उक्त अंकों एंव आयु सीमा मे छुट का लाभ देय नही होगा।**

(v) नियमानुसार साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा मे उत्तीर्ण (Qualified) अभ्यर्थियों को विज्ञापन के कंडिका –6 (i) में वर्णित प्रावधानुसार कोटिवार मेधासूची तैयार कर दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

7. **महत्वपूर्ण निर्देश** :– ऑनलाइन आवेदन–पत्र मे योग्यता /आरक्षण/कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र /अंक पत्र यथा –

(i) Matriculation का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्र /औपबंधिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate)

(ii) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से इन्टरमीडिएट (+2) समकक्ष डिग्री प्राप्त हो, अंक पत्र एवं औपबंधिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate)/मूल प्रमाण पत्र।

(iii) जाति प्रमाण–पत्र/किमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र

(iv) स्थायी निवास/आवासीय प्रमाण–पत्र

(v) दिव्यांगता प्रमाण–पत्र

(vi वेतन भुगतान प्रमाण पत्र (विहित प्रपत्र में)

से संबंधित सूचना की प्रविष्टि कर उक्त सभी प्रमाण–पत्र/अंक विहित Column में Upload करना सुनिश्चित करेगे। कोई भी प्रमाण–पत्र/अंक पत्र Upload नही किये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्वतंत्र होगा।

उक्त सभी प्रमाण–पत्र/अंक पत्र वही मान्य होगे, जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाईन आवेदन–पत्र मे किया है । उक्त सभी प्रमाण–पत्रों/अंक पत्र का संख्या एवं निर्गत तिथि का उल्लेख ऑनलाईन आवेदन मे किया जाना एवं विहित Column में Upload किया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त सभी प्रमाण–पत्र /अंक पत्र **दिनांक–04.08.2026** तक का निर्गत होना अनिवार्य है।

8. विद्यालय की कंडिका –6 (iii) के अन्तर्गत कार्यानुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा संविदा पर कार्यरत होने का वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र (परिशिष्ट–1 मे संलग्न प्रारूप में) निर्गत करने के लिए **कार्यरत विभाग के अन्तर्गत संथानों के प्रभारी/कार्यलय अधिकारी** सक्षम प्राधिकार होगे।

9. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण–पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेगे। आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

10. वैसे प्रमाण–पत्र/अंक जिनका उल्लेख/Upload Online Form में नही किया गया होगा को आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन मे स्वीकार नही किया जायेगा एवं उक्त के आधार पर अर्हता/आरक्षण/कार्यानुभव के अधिमानता से वंचित रहने हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगे तथा उक्त के संबंध मे कोई दावा मान्य नही किया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में केवल के संबंध मे कोई दावा मान्य नही किया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) मे केवल वही प्रमाण –पत्र/अंक पत्र का मूल से मिलान कर सत्यापन किया जायेगा, जो अभ्यर्थी द्वारा Online आवेदन मे Upload किया गया है। अन्य कोई भी प्रमाण–पत्र /अंक पत्र बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दस्तावेज सत्यापन मे स्वीकार नही किया जायेगा।

दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय अभ्यर्थी द्वारा Online आवेदन मे Upload किये गये सभी प्रमाण–पत्रों/अंक पत्रों को बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेन्ट ऑगेनाइजेशन के Website से download कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थियों को निदेश है कि Online आवेदन मे सुस्पष्ट एवं Clear दस्तावेज जो सभी तरह से Scanner के माध्यम से Scan किया गया हो, को Upload करेंगे। धुँधला/अस्पष्ट /काला/अपठनीय दस्तावेज/प्रमाण–पत्र Upload होने पर दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय भी अभ्यर्थित्व समाप्त करने हेतु बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्वतंत्र होगा।

11. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र अंक–पत्र अंक–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन में प्रमाण–पत्र नही प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नही किया जाएगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नही करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध मे निर्णय लेने हेतु बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्वतंत्र रहेगा।

12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट:– www.bsmdo.in पर प्राशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट का सतत् निरीक्षण करते रहेगे। अलग से समाचार पत्रों मे प्रकाशन किये जाने S.M.S अथवा E-mail के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किये जाने की बाध्यता नही होगी।

13. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग मुद्रित टंकित हस्तालिखित आवेदन स्वीकार नही किये जायेगे। साथ ही अपूर्ण अस्पष्ट अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पर अस्वीकृत कर दिये जायेगे तथा शुल्क वापस नही किये जायेगे।

14. **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन मे सभी प्रविष्टियों सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन मे किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नही होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तरदायी नही होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वंय जिम्मेवार होंगे । ऑनलाईन आवेदन मे सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नही किया जायेगा एवं वैसे आवेदनो को निरस्त कर दिया जायेगा।**

15. बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन मे अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु किसी भी दावे पर बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का निर्णय मान्य होगा।

16. **<u>ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित है</u>** :–

(i) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी रसीद की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेगे।

(ii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा–निर्देश का भली भॉति अध्ययन कर लेगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम मे सभी सूचनाऍ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेगे। ऑनलाईन आवेदन भरते हुए आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नही करने एंव ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम मे अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि मे किसी प्रकार की त्रुटि के लिए बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेवार नही होगा। इस संबंध मे किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नही किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन मे भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र /अंक पत्रांक से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(iii) अभ्यर्थी अपना नाम जन्म तिथि कोटि आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेगे।

(iv) ऑनलाईन आवेदन मे अंकित **E-Mail Id, Mobile Number** को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी । इसे वे चयन वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम मे अपना ही कार्यरत **Mobile Number** एवं **E-mail id** अंकित करेगे । किसी भी परिस्थिति मे किसी अन्य व्यक्ति का **Mobile Number** एवं **E-Mail Id** अंकित नही करेगे।

(V) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नही माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

(Vi) इन्टरनेट या बैकिग व्यवधान के लिए बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तरदायी नही होगा । अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नही करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रकिया पूरी कर लेगे।

(Vii) **फोटोग्राफ** :– (क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खीचा होना चाहिए। (तीन माह के अंदर का)
(ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एंव सिर उपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो मे ऑख खुला होना चाहिए।
(ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए । फोटो पर किसी प्रकार की छाया नही होना चाहिए । यदि आवेदक चश्मा लगाते है, तो चश्मा हटाकर फोटो खिचवायेगे।
(घ) कंडिका –16 (Vii) (क) (ख) (ग) मे वर्णित निर्देशों के अनुरूप फोटो नही रहने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

(Viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पॉच अतिरिक्त प्रतियॉ वे अपने पास सुरक्षित रखेगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर या बिहार राज्य मिशन डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन द्वारा मॉगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(iX) ऑनलाईन भुगतान मे किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful payment/Transaction status Failure के लिए बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तरदायी नही होगा।

(X) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अधियाची बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के निर्णय के आलोक मे विज्ञापन मे आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।

नोट–1 अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण–पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नही भरेगे अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमााण–पत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरूध्द कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

2 चयन प्रकिया के किसी भी चरण मे प्रमाण–पत्रों /अंक पत्रों या अन्य अभिलेखयदि त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सम्बन्धित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

कार्यपालक निर्देशक
बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन

वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र का प्रारूप

परिशिष्ट –1

संस्थान/कार्यालय का नाम :– ....

वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र

ज्ञापांक :– ....

दिनांक :– ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता...पता.. .... का नियोजन विभागीय अधिसूचना /कार्यालय आदेश सं0 .... दिनांक–....................................द्वारा संविदा के आधार पर .... के पद पर नियुक्ति के पश्चात –.. ....(कार्यालय का नाम) में .... (पदनाम) के रूप में पदस्थापित एंव कार्यरत है/थे।

इनके वेतन भुगतान की विवरणी निम्नवत् है :–

क0सं0	कब से (तिथि)	कब तक (तिथि)	कुल अवधि	मासिम वेतन /मानदेय	कुल भुगतेय राशि	अभ्युक्ति
1						
2						
3						
कुल अवधि :–						

(हस्ताक्षर)

कार्यालय मुहर

निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का पूरा नाम :– ....
पदनाम :– ....
प्रशासी विभाग का नाम :– ....